

(Authoritative English text of this department notification No. YSS-B(6)-1/2018, dated 25th April, 2023 as required under clause (3) of article 348 of constitution of India).

**Government of Himachal Pradesh
Department of Youth Services & Sports.**

No. YSS-B(6)-1/2018

Dated:

Shimla-2, 25th, April, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director (Class-I Gazetted) in the Department of Youth Services and Sports, as per Annexure "A" namely:-

Short title and commencement.

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Youth Services and Sports Department, Joint Director (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2023.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Repeal and savings.

- (1) The Himachal Pradesh Youth Services and Sports, Department, Recruitment and Promotion Rules, 1985 for the post of Joint Director Sports (Class-I Gazetted) notified vide this Department's notification No. 1-17/82-YSW-Estt, dated 15-06-1985 as amended from time to time are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,


Secretary (YSS) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. YSS-B(6)-1/2018

Dated: Shimla-2, 25th April, 2023

Copy to the following for kind information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2
3. The Director Youth Services & Sports, H.P., Shimla-2.
4. The Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P., Shimla-5 for publication in the Govt. Gazette (through E-Gazette).
5. ALR-cum-Under Secretary (English and Hindi), H.P. Secretariat, Shimla.
6. Guard file.



(Savita)

Under Secretary (YSS) to the
Govt. of Himachal Pradesh
Ph.No.01772621157

Director (YSS)

28-4-23

Add. Dir (YSS)

Dy. Dir (ISS)

Supdt. (Gr. 1)

Dysso (H.Q.)


DA

Sh. J. D.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR,
CLASS -I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES AND SPORTS,
HIMACHAL PRADESH.

1	Name of Post :	Joint Director
2	Number of Post(s) :	01 (One)
3	Classification :	Group-A Non Ministerial Services
4	Scale of Pay :	(i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Matrix Level-21 (₹67400-201200) of the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022. (ii) Emoluments for contract employees : ₹ 40440/-P.M. [60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay matrix of the corresponding cadre] as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
5	Whether "Selection" post or "Non- Selection" post	Selection.
6	Age for direct recruitment.	18 to 45 years :
		<p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government, including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:</p> <p>Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.</p> <p>Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.</p>
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):	(a) ESSENTIAL QUALIFICATION (s): (i) Should possess Bachelor's Degree from a recognized University or from an Institution affiliated to a recognized University or from a deemed University. (ii) One year's Diploma in any game from an Institution run by the Sports Authority of India. (iii) Must have participated in a recognized International or National Sports meet. (iv) At least 5 years experience in administration, planning and organization of games and sports.

		(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS: Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote (s):	Age : Not applicable Educational Qualification(s): Not applicable
9	Period of Probation, if any:	(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by promotion, failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.
11	In case of recruitment by promotion/ secondment / transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made:	By promotion from amongst the Deputy Director who possesses 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbent from HPAS cadre working in the relevant/identical pay scale:
<p>(I) Provided that for the purpose of promotion, every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:</p> <p>Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except transfer/posting in remote or rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion;</p> <p>Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.</p> <p>Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.</p> <p>Explanation II:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla. 		


Under Secretary (100) to the
Government of Himachal Pradesh

2

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

- i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation: The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

- (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards

	the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	Department Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee: "As may be constituted by the Government from time to time".
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.
15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment :	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment (s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- (I) CONCEPT: (a) Under this policy the Joint Director Class-I (Gazetted) in Department of Youth Services & Sports, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis; Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended. (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:- The Secretary, Youth Services and Sports, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis, will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

Savita

Under Secretary (YSS) to the
Government of Himachal Pradesh

4

		<p>(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS: The Joint Director appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @₹ 40440/-P.M. [60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay matrix of the corresponding cadre] as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.</p> <p>(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY: The Secretary, Youth Services and Sports, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.</p> <p>(IV) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.</p> <p>(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla, from time to time.</p> <p>(VI) AGREEMENT: After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.</p> <p>(VII) TERMS AND CONDITIONS:</p> <p>(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @₹ 40440/-P.M. [60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay matrix of the corresponding cadre] as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.</p> <p>(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the appointing Authority, with-in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.</p> <p>(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract</p>
--	--	---


appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:


Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like F.R. S.R., Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme



Under Secretary (YSS) to the
Government of Himachal Pradesh

		as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service from Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Department Examination	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18	Power to Relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).


(Savita)

Under Secretary (YSS) to the
Govt. of Himachal Pradesh
Ph.No.01772621157

हिमाचल प्रदेश सरकार
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

संख्या: वाई0एस0एस0-बी(6)-1/2018

तारीख शिमला-2,

25-4-2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, संयुक्त निदेशक, (वर्ग-1 राजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में संयुक्त निदेशक, (वर्ग-1 राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-17/82-वाई0एस0डब्ल्यू-स्था, तारीख 15-06-1985 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, संयुक्त निदेशक, (वर्ग-1 राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1985, समय-समय पर संशोधित का एतद्वारा निरसन किया जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

25-4-2023

पृष्ठांकन सं०: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-1
3. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
4. निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
5. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 का असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।
6. अतिरिक्त प्रतियां 10।

सविता


(सविता)

अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
फोन न०, 01772621157

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम:	संयुक्त निदेशक
2.	पद (पदों) की संख्या:	01 (एक)
3.	वर्गीकरण:	ग्रुप-क अलिपिक वर्गीय सेवाएं
4.	वेतनमान	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान: हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 का पे मैट्रिक्स लेवल-21 (₹67400-201200)। (ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: ₹40440/-प्रतिमास, (हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन), 2022 के अनुसार (तत्स्थानी काडर के पे मैट्रिक्स का लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ को 60 प्रतिशत)।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्ष ।
		<p>परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :</p> <p>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :</p> <p>परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :</p> <p>परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए</p>



Under Secretary (YSS) to the
Government of Himachal Pradesh

		<p>आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर, निगमों /स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों /स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।</p> <p>टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।</p>
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों)के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	<p>(क) अनिवार्य अर्हता (एं):</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्थान या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।</p> <p>(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी संस्थान से किसी क्रीड़ा में एक वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p>(iii) किसी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो।</p> <p>(iv) खेलों और क्रीड़ा के प्रशासन, योजना और संगठन में भाग लिया हो।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता (एं) :</p> <p>हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं :	<p>आयु : लागू नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं।</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	<p>(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।</p> <p>(ख) संविदा के आधार पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।</p>

Under Secretary (135) to the
Government of Himachal Pradesh.

10.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैक्रेण्डमेंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैक्रेण्डमेंट आधार पर ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति/सैक्रेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैक्रेण्डमेंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा :	उप निदेशक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका न्यूनतम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के समकक्ष/समरूप वेतनमान वाले पदधारियों में से सैक्रेण्डमेंट आधार पर।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन /दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अद्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी ;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/ दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/ दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा घटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्चोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी,

कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III: उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थाईकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:	विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थाईकरण समिति: जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क	संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	<p>15-क संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :-</p> <p>(1) संकल्पना: (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, संयुक्त निदेशक, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण -पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।</p> <p>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना: प्रशासनिक सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।</p>

Rawita

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त संयुक्त निदेशक को ₹ 40440/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो संबंधित संवर्ग के, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल का 60 प्रतिशत होगी)।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी

प्रशासनिक सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त संयुक्त निदेशक को ₹40440/-प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो संबंधित संवर्ग के, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल का 60 प्रतिशत होगी)।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील

कर सकेगा।


- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।



		<p>(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ. /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।</p>
16.	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा:	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18.	शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
-----	----------------------	--

सविता

(सविता)

अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
फोन न०, 01772621157